आवेदन पत्र पत्र संख्या 304 / 2022
मानसिंह बनाम राजवन्ती वगै.
निर्णय दिनांक 7/2/23

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 304 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 489

मानसिंह पुत्र नानड़राम पुत्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला–झुंझुनू (राज.) मो. 7023708084

बनाम

1. राजवन्ति पुत्री हुकमा पत्नि हरिराम जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
2. मूलचन्द
3. रघूवीर
4. वेदप्रकाश
5. हरलाल

(2–5) } पुत्रान जिसुख जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

6. बड़ोदा राज. क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
7. अमीलाल पुत्र नानड़राम जाति जाट निवासी मैनाना तह–बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
8. तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

<u>आवेदन पत्र धारा 251 (क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति –

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदक स.1 की ओर से रामस्वरूप एडवोकेट अनावेदक स. 2 व 3 की ओर से मुकेश चौधरी एडवोकेट शेष अनावेदकगण के विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 7/2/23

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि वाके ग्राम मैनाना स्थित भूमि ख.सं. 157 रकबा 1.30 है0 का आवेदक एवं उसका भाई अमीलाल खातेदार हैं खसरा नं. 157 का पूर्वी भाग आवेदक के हिस्से में है जिस पर आवेदक काबिज कास्त है ल[illegible] करता है एवं फसल काटता लाटता है।
2. यह कि आवेदक कि भूमि खसरा संख्या [illegible] के दक्षिण में ख.सं. 156 रकबा 1.06 है0 स्थित है जो अनावेदक संख्या [illegible] 5 के [illegible] दर्ज रिकॉर्ड है तथा आवेदक की भूमि के पूर्व में ख.सं. 203 रकबा [illegible] अनावेदिका संख्या [illegible] के नाम खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 304 / 2022
मानसिंह बनाम राजवन्ती वगै.
निर्णय दिनांक 7/2/23

3. यह कि आवेदक कि भूमि ख.सं. 157 के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कटानी कोई रास्ता नहीं है अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 आवेदक के कुटुंब के सदस्य हैं आवेदक का पिता नाथाराम एवं अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 का पिता जिसुख सगे भाई थे मूलचन्द व रघूवीर ने ख. सं. 156 में से आवेदक कि भूमि ख. सं. 157 के लिए 26 फिट चौड़ा अर्थात 8 मीटर चौड़ा रास्ता सन् 2020 में दिया था तभी से आवेदक इस रास्ता का उपयोग करता आ रहा है अर्थात मौके पर ख.सं. 156 में से रास्ता प्रचलित रहा है लेकिन करीब एक माह से अनावेदक संख्या 2 लगायत 5 ने इसको रोक दिया है।

4. यह की आवेदक कि भूमि ख.सं. 157 के लिए ख.सं. 156 एवं 203 कि सीमा पर से 8 मीटर चौड़ाई में रास्ता की आवश्यकता है ख.सं. 156 में से आवेदक रास्ता का उपयोग करता था लेकिन अब अनावेदक संख्या 2 ने उक्त रास्ता को रोक दिया है इसलिए आवेदक के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपनी भूमि के लिए सबसे सुगम एवं सरल रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाये एवं मौके पर कायम करवाये आवेदक धारा 251 (क) रा.का.अधि. के प्रावधानों की आवेदक पालना करने को तैयार एवं तत्पर है अर्थात डी.एल.सी. रेट की दौगुणी राशि जमा करवाने को आवेदक को तैयार है ।

5. यह कि आवेदक कि भूमि ख. सं. 157 के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ख. सं. 156 व 203 कि सीमा पर से सबसे सरल सुगम रास्ता है इसलिए आवेदक खसरा संख्या 156 एवं 203 की सीमा पर से रास्ता कायम किये जाने योग्य है। आवेदक को विकल्प के तौर पर ख.सं. 156 में से रास्ता दिया जाता है या दोनों में से रास्ता दिया जाता है तो आवेदक उसके अनुसार पालना करने को तैयार है, लेकिन दोनों खेतों की सीमा पर से रास्ता सरल एवं सुगम है तथा रास्ता के लिए भूमि भी कम उपयोग में आएगी व रास्ता भी सीधे आवेदक के खेत में प्रवेश करेगा।

6. यह कि आवेदन पत्र के लिए आधार विवाद आवेदक कि भूमि ख. सं. 157 के लिए ख. सं. 203 एवं 156 कि सीमा पर से रास्ता प्रचलित रहने एवं अनावेदकगण द्वारा रास्ते को रोक देने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से एवं दोनों की सीमा पर से 8 मीटर चौड़ाई में रास्ता सरल व सुगम होने से पैदा हुआ है अतः आवेदन पत्र अन्दर मियाद है।

7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम मैनाना में स्थित जो न्यायालय श्रीमान जी की हद्दु में है इसलिए यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

8. यह कि आवेदन पत्र 2/– रूपये कोर्ट फिस पर सेवामें पेश है ।

9. यह कि अनावेदक संख्या 6 से अनावेदक संख्या 2 व 5 ने ऋण लिया है तथा अनावेदक संख्या 7 आवेदक के साथ खातेदार है। अनावेदक संख्या 8 लैंड हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है।

10. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपत्र–पत्र पेश है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक [illegible] भूमि ख. सं. 157 रकबा 1.30 है. के लिए ख. सं. 203 एवं 156 कि सीमा पर से 13 फिट [illegible] 8 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाने कि कृपा करें एवं रास्ता [illegible] कर सीमांकन एवं मापन कर मौके पर रास्ता कायम किये जाने की कृपा करें। विकल्प में [illegible] न्यायालय श्रीमान जहां से उचित माने वहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 304 / 2022
मानसिंह बनाम राजवन्ती वगै.
निर्णय दिनांक 7/2/23

से 8 मीटर चौड़ाई में रास्ता मापने एवं सीमांकन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर मौके पर भी कायम किए जाने की कृपा करें।

पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई अनावेदक स.1 की ओर से रामस्वरूप अधिवक्ता अनावेदक स. 2 व 3 की ओर से श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आए शेष अनावेदकगण जो बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

अनावेदक स. 1 की ओर से जवाब आवेदन पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 1 जानकारी के अभाव मे स्वीकार नह हैं।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 2 स्वीकार हैं आवेदक के खसरा न. 157 के दक्षिण दिशा मे खसरा न. 156 रकबा 1.06 हैक्टर जो अनावेदक स. 2 लगायत 5 स्वीकार हैं तथा आवेदक की भूमि के पूर्व दिशा मे खसरा न. 203 रकबा 1.09 हैक्टर स्वीकार हैं।
3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 3 जिस भांति दर्ज हैं स्वीकार हैं आवेदक को उनके परिवार के ही अनावेदकगण स. 2 लगायत 5 ने 26 फुट अर्थात् 8 मीटर चौडा रास्ता खसरा न. 156 मे से आवेदक की भूमि खसरा न 157 मे दिया गया था वह स्वीकार हैं।
4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज किया हैं वह स्वीकार नही है। आवेदक को उसकी खातेदारी की भूमि खसरा न. 157 मे आने जाने के लिए खसरा न. 156 मे से रास्ता दिया गया हैं जो सुलभ एवं सस्ता हैं जिसका उपयोग – उपभोग आवेदक करता आ रहा हैं उसे आवेदक धारा 251 क के प्रावधानो अनुसार आवेदक तैयार हैं तो जो रास्ता का उपयोग – उपभोग कर रहे हैं उसको डी.एल.सी. की रेट दिया जाने पर अनावेदक स. 2 लगायत 5 को रास्ता नियमानुसार दिया जाना चाहिए ।
5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 5 गलत हैं बिलकुल स्वीकार नही हैं आवेदक जिस रास्ता का उपयोग करते आ रहे हैं आवेदक को वह रास्ता कायम किया जाना चाहिए यदि आवेदक खसरा न. 203 व खसरा न. 156 की मियाल से रास्ता चाहने का अर्थ यह कि आवेदक एवं अनावेदक स. 2 लगायत 5 जो एक ही परिवार का होने से वह यह आवेदन पत्र क्लीन हैन्ड से नही हैं जब वे पहले से जिस रास्ता का उपयोग करते आ रहे हैं उस रास्ता को अनावेदक स. 2 को बन्द करने का कोई अधिकार नही है।
6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 6 गलत हैं स्वीकार नही है आवेदन पत्र का आधार अनावेदक स. 2 ने प्रचलित रास्ता को बन्द किया हैं इसलिए यह आवेदन पत्र का गलत आधार बनाया हैं जो कतई स्वीकार नही हैं।
7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 7 क्षेत्राधिकार से सम्बधित हैं जो कानूनी हैं अतः उतर की आवश्क्ता नही हैं।
8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 8 न्यायालय शुल्क से संबंधित हैं जो कानूनी हैं अतः उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
9. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 9 गलत हैं स्वीकार नही हैं जिसमे अनावेदक स. 1 आवश्यक पक्षकार नही हैं जब पहले से खसरा न. 157 अनावेदक स. 2 लगायत 5 के खातेदारी मे हैं और उन्होने पहले रास्ता आवेदक को दिया गया हैं उनको ही पक्षकार बनाया जाना चाहिए था।
10. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 10 शपथ ... प्रति प्राप्त नही हुई जो आवेदन पत्र के आधार पर ही शपथ पत्र हैं तो स्वीकार नही है ... आवेदक का आवेदन पत्र अनावेदक स.1

अतः जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं ... आदेश देने की कृपा करे। की हद तक अस्वीकार कर खारिज ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 304 / 2022
मानसिंह बनाम राजवन्ती वगै.
निर्णय दिनांक 7/2/23

अनावेदक स. 2 व 3 ने जवाब आवेदन पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 1 मे भूमि खसरा न. 157 रकबा 1.30 हैक्टर होना स्वीकार हैं लेकिन ख.न. 157 की खातेदारी मानसिंह पुत्र नानड़राम के नाम से दर्ज नही हैं बल्कि अमीलाल पुत्र नाथा व मानसिंह पुत्र नाथा के नाम से दर्ज हैं भूमि के पूर्वी तरफ आवेदक का कब्जा कास्त नही हैं बल्कि पश्चिमी तरफ हैं तथा ख.न. 157 के पश्चिम मे स्थित ख.न. 158 की पश्चिमी मेड के सहारे – सहारे एक कटानी रास्ता मौजूद हैं जिसमे आवेदक कदीम से आवागमन करता हैं तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा हैं आवेदक के पास कास्त करने के लिए आया हुआ हैं तथा ख.न. 158 का खातेदार आवेदक का सगा भाई अनावेदक स. 7 हैं।
2. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 2 मे ख.न. 157 के दक्षिण मे अनावेदक स. 2 व 3 की भूमि ख.न. 156 होना स्वीकार हैं लेकिन अनावेदक स. 2 व 3 की भूमि के दक्षिण मे कोई कटानी रास्ता नही हैं तथा ख.न. 157 के पूर्व मे ख.न. 203 होना स्वीकार हैं तथा ख.न. 203 के पूर्व मे कटानी रास्ता हैं।
3. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न.3 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं अनावेदक की भूमि ख.न. 156 मे से कभी भी कोई रास्ता नही रहा हैं ख.न. 157 के पश्चिम मे ख.न. 158 स्थित हैं जिसका आवेदक का संयुक्त खातेदार उसका भाई अनावेदक स. 7 दर्ज हैं तथा ख.न. 158 के पश्चिम सीमा के सहारे कटानी रास्ता हैं आवेदक व अनावेदक स. 7 वही से आवागन करते हैं क्योकि अनावेदक स. 7 व आवेदक की ख.न. 158 संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं अनावेदक उसने अपनी भूमि ख.न. 156 मे से कभी रास्ते के लिए भूमि नही दी हैं तथा ना ही कभी ख.न. 156 मे से कभी रास्ता कायम किया जा सकता हैं ख.न. 157 के दक्षिण मे अनावेदक स. 2 व 3 की भूमि हैं जिसके दक्षिण मे कोई कटानी रास्ता मौजूद नही हैं बल्कि ख.न. 157 के पूर्व तरफ ख.न. 203 स्थित हैं उसके पूर्वी तरफ कटानी रास्ता हैं इसलिए ख.न. 203 मे से रास्ता दिया जाना सम्भव हो सकता हैं अनावेदक स. 2,3, 4, 5 की भूमि मे से कोई रास्ता कायम नही हो सकता हैं अनावेदक स. 2 लगायत 5 की भूमि मे से कभी रास्ता नही रहा हैं जबकि आवेदक के पास ख.न. 158 मे से रास्ता हैं क्योकि ख.न. 158 की संयुक्त खातेदारी अनावेदक स. 7 की हैं इसलिए अनावेदक स. 7 से आवेदक ना बनाकर अनावेदक दर्ज करके उक्त आवेदन पत्र धारा 251(क) के तहत पेश किया हैं जो खारीज होने योग्य हैं आवेदक अनावेदक की भूमि ख.न. 157 व 158 कटानी रास्ते से लगती हुई हैं क्योकि ख.न. 158 के पश्चिम सीमा से कटानी रास्ता लगता हैं।
4. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं ख.न. 157 के लिए रास्ता आवेदक व अनावेदक स. 7 जो उसका सगा भाई हैं उसकी खातेदारी भूमि ख.न. 158, 159 हैं जो ख.न. 157 के पश्चिम मे सटकर हैं उसके पश्चिम मे कटानी रास्ता लगता हैं तथा ख.न. 157 आवेदक व अनावेदक स. 7 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं इसलिए संयुक्त खातेदार ख.न. 158 व 159 मे रास्ता पहले से ही लगता हैं इसलिए रास्ते की आवश्यक्ता नही हैं। तथा ख.न. 157 के पूर्व मे ख.न. 203 हैं जो अनावेदक स. 1 की भूमि हैं तथा उसके पूर्व मे भी रास्ता हैं इसलिए ख.न. 203 मे से ही रास्ता कायम करवाया जाना सबसे नजदीक हैं क्योकि अनावेदक स. 2 से 5 की भूमि ख.न. 156 आवेदक की भूमि ख.न. 157 के दक्षिण मे स्थित हैं तथा दक्षिण में कोई कटानी रास्ता नही है [illegible] मे से रास्ता लेने पर दुरी अधिक होती हैं क्योकि पहले ख.न. 156 मे घूमना [illegible] रास्ते तक जाना होगा। जबकि ख.न. 203 ख.न. 157 के समान्तर पूर्व मे स्थित हैं इसलिए ख.न. 156 मे से रास्ता कायम नही किया जा सकता हैं वैसे भी आवेदक व अनावेदक [illegible] संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.न. 157 होना आवेदक मानता हैं तथा ख.न. 158 व 159 [illegible] खातेदारी अनावेदक स. 7 की खातेदारी मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

हैं इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं इसलिए उक्त आवेदन पत्र धारा 251(क) के तहत पोषणीय नही हैं जब अनावेदक स. 7 व आवेदक के लिए उनकी खातेदारी भूमि ख.न. 158, 159 व 157 के लिए पश्चिम मे कटानी रास्ता मौजूद हैं तब उनको रास्ते की आवश्यक्ता नही हैं।

5. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 5 जिस भांति दर्ज हैं अस्वीकार हैं आवेदक के लिए ख.न. 158 के पश्चिम मे कटानी रास्ता हैं वहां से रास्ता मौजूद हैं तथा ख.न. 157 के खातेदार आवेदक व अनावेदक स. 7 हैं तथा ख.न. 158, 159 के खातेदार अनावेदक स. 7 हैं जो आवेदक का सगा भाई हैं इसलिए आवेदक अनावेदक स. 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि के रास्ता लगता हुआ हैं इसलिए ख.न. 156 मे से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है वैसे भी ख.न. 157 के पूर्व मे ख.न. 203 की भूमि लगती हैं उसी मे से रास्ता दिया जाना सम्भव हैं ख.न. 156 आवेदक की भूमि के दक्षिण मे स्थित हैं तथा दक्षिण मे कोई रास्ता नही हैं ख.न. 156 मे से रासता लेने हेतु पहले अनोदक स. 2, 3 के ख.न. 156 के दक्षिण मे घुसना पड़ेगा फिर रास्त मे जाना होगा। जो दूरी ज्यादा पड़ती हैं आवेदक जानबूझकर अनावेदक स. 2 से 5 की भूमि मे से जबरन रास्ता कायम करवाना चाहता हैं जबकि उसकी खातेदारी भूमि ख.न. 157 की खातेदारी आवेदक व उसके सगे भाई अनावेदक स. 7 की खातेदरी मे दर्ज हैं अनावेदक स. 7 ख.न. 158, 159 का खातेदार दर्ज हैं जिसके पश्चिम में कटानी रास्ता मौजूद हैं इस प्रकार से आवेदक की भूमि मे संयुक्त रूप से रास्ता लगता हैं तथा आवेदक को 28 फुट चौडाई मे रास्ते की आवश्यक्ता नही हैं उसने जानबूझकर अनावेदक को परेशान करने के लिए व उसकी भूमि को बर्बाद करने के लिए आवेदन पेश किया हैं।

6. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 6 अस्वीकार हैं ख.न. 157 के लिए ख.न. 158 के पश्चिम मे स्थित रास्ते से ही तथा ख.न. 158 का खातेदार कास्तकार अनावेदक स. 7 हैं जो ख.न 157 का भी संयुक्त खातेदार कास्तकार हैं तथा आवेदक का सगा भाई हैं जिसकी संयुक्त खातेदारी हैं लेकिन जानबूझकर आवेदक व अनावेदक स. 7 से मिलकर आवेदन पत्र पेश किया हैं तथा आवेदक ने अपने भाई को अनावेदक दर्ज कर दिया ताकि अनावेदक स. 2 से 5 की भूमि मे से रास्ता कायम करवा सके। वैसे भी ख.न. 203 आवेदक की भूमि ख.न. 157 के पूर्व मे स्थित हैं तथा उसके पूर्व मे रास्ता दर्ज हैं इसलिए ख.न. 203 मे से रास्ता दिया जाना सम्भव हैं क्योकि अनावेदक की भूमि ख.न. 156 आवेदक की भूमि ख.न. 157 के दक्षिण मे स्थित हैं तथा दक्षिण मे कोई कटानी रास्ता नही हैं जवाब के साथ अनावेदक नजरी नक्शा भी प्रस्तुत कर रहे हैं जो जवाब का अभिन्न अंग होगा। जिसमे से रास्ता दर्शाया गया हैं।

7. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड न. 7 बाबत क्षेत्राधिकार हैं जिसके उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड न. 8 बाबत क्षेत्राधिकार हैं जिसके उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

अतः जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आवेदक का आवेदन पत्र खारीज किया जावे।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर आवेदक व अनावेदकगण को सुना गया।

मौका रिर्पोट पर अनावेदक स.1 द्वारा आपत्ति रही कि मौका की जांच एवं मौका रिर्पोट भू-अभिलेख सावलोद तथा पट[illegible] मे ख.न. 157 रकबा 1.30 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी मानसिंह का रास्ता ख.न. 2[illegible] " ए " से " बी " की लम्बाई 4 मीटर तथा ख.न. 156 बिन्दु " सी [illegible] नजरी नक्शा गलत बनाया हैं।

प्रार्थी मानसिंह को खात[illegible] ख.न. 15[illegible] आने जाने के लिए उनके ही परिवार की ख.न 156 जो अनावेद कस[illegible] खातेदारी की भूमि मे से प्रार्थी / आवेदक आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– जने का रास्ता उपयोग – उपभोग करते आरहे हैं आवेदन पत्र के खण्ड न. 3 मे आवेदक ने खुद स्वीकार किया हैं जिसमें 26 फुट चौडा रास्ता 2020 मे दिया था जिसे आवेदक उपयोग – उपभोग करता आ रहा हैं।

अनावेदक स. 2 व 3 की ओर से मौका रिर्पोट रिर्पो पर आपत्ति निम्न प्रकार प्रस्तुत की –

1. यह कि अनावेदक स. 2 3 ने अपने जवाब के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया हैं जिसके अनुसार आवेदक की भूमि ख.न. 157 के पश्चिम मे ख.न 158 के सटता हुआ एक रास्ता हैं तथा ख.न. 158 के संयुक्त खातेदार अनावेदक स. 7 की खातेदारी मे दर्ज हैं तथा उसी मे से आवेदक स. 1 का कब्जा कास्त भी ख.न. 157 के पश्चिमी तरफ हैं तथा ख.न. 158 मे से जो संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हैं वहां से आवागमल करता हैं जिसके बाबत कोई मौका रिर्पोट पटवारी हल्का व भू अभिलेख अधिकारी ने कोई मौका रिर्पोट नही बनाई हैं जबकि मौका रिर्पोट आवेदन पत्र व जवाब आवेदन पत्र अनुसार दोनो तरफ से बनकर आनी चाहिए थी।
2. यह कि ख.न. 157 व 158 संयुक्त खातेदारी की हैं इसलिए भी आवेदक को उक्त आवेदन पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार भी नही हैं फिर भी अनावेदक स. 2 व 3 ने जहा से आवेदन पत्र मे पश्चिम मे स्थित संयुक्त खातेदारी ख.न. 158 मे से आवागमन करता हैं जिस बाबत नजरी नक्शा भी पेश कर रखा हैं उसका भी मौका रिर्पोट मे कोई हावाला नही दिया गया हैं इसलिए उक्त मौका रिर्पोट पुनः ख.न. 158 मे से भी मंगवाना जाना आवश्यक हैं।
3. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 157 की पूर्व मे ख.न. 203 आवेदक स. 1 की भूमि हैं तथा उसके पूर्व मे आम रास्ता हैं सबसे नजदीक रास्ता ख.न. 203 मे ही हैं अनावेदक भी भूमि हाल ख.न. 156 आवेदक से दक्षिण में स्थित वही से रास्ता कायम नही किया जा सकता हैं अनावेदक स. 2 की भूमि दक्षिण मे स्थित हैं उसके लिए पहले आवेदक को दक्षिण मे घुसना उसके पश्चात फिर पूर्व मे आना होगा जो दूरी पर हैं जिस बाबत मौका रिर्पोट मे कुछ भी दर्ज नही हैं इसलिए भी मौका रिर्पोट जानबूझकर अनावेदक स. 2 व 3 की भूमि मे से बनाई गई हैं।
4. यह कि पटवारी हल्का व गिरदावर ने अनावेदक को मौका रिर्पोट बनाते समय मौक पर नही बुलाया हैं तथा ना ही कोई नोटिस दिया गया हैं जबकि मौका रिर्पोट पक्षकारो की मौजूदगी मे बनानी चाहिए तथा मोका रिर्पोट पर आवेदक व अनावेदक स. 7 जो आवेदक का सगा भाई हैं उसके हस्ताक्षर करवाये हैं इसलिए उक्त रिर्पोट जानबूझकर दुर्भावनापूर्वक बनाई गई हैं इसलिए पुनः जवाब को ध्यान मे रखते हुए पक्षकारो की मौजूदगी मे बनाई जानी जरूरी हैं।

अतः मौका रिर्पोट पर आपत्ति पेश कर निवेदन हैं कि मौका रिर्पोट दिनांक 17.10.2022 को खारीज किया जाकर पुनः आवेदन पत्र व जवाब के अनुसार पुनः पक्षकारो की मौजूदगी मे मौका रिर्पोट मंगवाई जाने कि कृपा करे।

उक्त मौका रिर्पोट पर प्रस्तुत आपत्ति पर बहस सुनी गई आपत्तिकर्ताओ में राजवन्ति की आपत्ति का मुख्य आधार यह रहा कि भूमि ख.न. 156 मे से ही रास्ता दिया जावे क्योकि वे उनके भाईबन्द हैं तथा उन्होने सन् 2020 मे रास्ता दे भी रखा था। तथा अनावेदक स. 2 व 3 ने कथन किया कि आवेदक स.1 की भूमि खसरा न. 157 , 158 में से वह आवगमन करता हैं तथा आवेदक का रास्ता भूमि खसरा न. 203 अनोवदक स.1 की भूमि मे से सबसे ज्यादा नजदीक पड़ता हैं इसलिए दुबारा से रिर्पोट मंगवाई जावे। मैने दोनो पक्षो की आपत्ति पर गौर कर मौका रिर्पोट का अवलोकन किया मौका [illegible] अनुसार खसरा न. 156 व 203 मे से आम रास्ता मौजूद हैं तथा उस रास्ते से ख[illegible] न. 157 की दुरी केवल साढे 5 मीटर होना बताई गई इसलिए खसरा न. 203 व 156 मे से [illegible] 157 के लिए रास्ता दिया जाना सबसे ज्यादा उचित प्रतीत होता हैं इसलिए अनावेदक की कमिश्नर रिर्पोट पर प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार योग्य हैं। जो खारीज की जाती हैं [illegible] आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किये जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: Self Attested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र पत्र संख्या 304 / 2022
मानसिंह बनाम राजवन्ती वगै.
निर्णय दिनांक 7/2/23

योग्य हैं। लेकिन आवेदक ने 8 मीटर चौडा रास्ता की मांग की हैं इतना चौडा रास्ता खातेदारी की भूमि के लिए उचित प्रतीत नही होता हैं इसलिए यह रास्ता 4 मीटर चौडाई में कायम किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

– :: आदेश ::–

अतः वाके ग्राम मैनाना स्थित भूमि ख.न. 156, 203 दोनो मे से 2 – 2 मीटर चौडाई मे कुल 4 मीटर चौडा रास्ता आम रास्ता से ख.न. 157 तक (नजरी प्रदर्श–'' अ'') कायम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में **''गैर मुमकिन रास्ता''** के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित दिया जाता हैं कि वह मुताबिक रिर्पोट 4 मीटर चौडा रास्ता के काम आने वाले 22 वर्गमीटर क्षेत्रफल की दोगूनी राशि निर्धारित कर आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा करवाये जाने पर सम्बधित खातेदार को भुगतान करे एवं खातेदार प्राप्त नही करने की स्थिति में राजकोष मे जमा करे। एवं मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता कायम कर उसे सुचारू से चालू करे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested